न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 85/2025

प्रार्थीगण :-

1. ओमप्रकाश राठौड पुत्र स्व. किशनाराम
2. जगदीश पुत्र स्व. किशनाराम
3. धनीदेवी पत्नी स्व.उम्मेदराम
4. नारायण सिंह पुत्र स्व. किशनाराम
5. लादूराम पुत्र स्व. किशनाराम जातियान खारडिया (सीरवी) निवासीगण बेरा मालजी का पिपलिया बाण गंगा रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. गोपाराम पुत्र स्व. उम्मेदराम जाति खारडिया (सीरवी) निवासी बेरा मालजी का पिपलिया, बाण गंगा रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण - श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी सं. 1- स्वयं उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 2-सरकारी पैरोकार

आदेश

दिनांकः- 08/07/15

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 1 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 692 रकबा 0.1942 हैक्टयर आई हुई है। जो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में मार्क ए.बी.सी. डी.से दर्शित किया गया है। तथा प्रार्थीगण का उक्त खसरे की भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी. के अनुसार ही है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंग सुमार कर पढा व समझा जावें। राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 1 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 692/1 रकबा 0.2184 हैक्टयर आई हुई है, जो अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 3 की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क सी.डी.ई.एफ से दर्शित किया गया है। तथा अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 3 का उक्त खसरे की भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित मार्क सी.डी.ई.एफ के अनुसार ही है। उक्त खसरे की भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा सं. 692 के उतर दिशा में मौके पर स्थित है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंग सुमार कर पढा व समझा जावें। खसरा संख्या 692 व 692/1 की नक्शा किशतवार में अलग-अलग तरमीम नही हो रखी है, नक्शा किशतवार में खसरा संख्या 692 व 692/1 के मूल खसरा नम्बर 692 की ही तरमीम हो रखी है। हाल ही में डी.आई.एल.आर.एम.पी. कार्यक्रम के तहत बिलाड़ा तहसील के समस्त ग्राम के खसरों की आनलाईन नक्शे में तरमीम की गयी जिसमें प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 692 व अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 3 की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 692/1 की भी आनलाईन नक्शे में

तरमीम की गयी जो गलत की गयी क्योकि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 692 व अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 692/1 की आनलाईन नक्शे में की गयी तरमीम मौके अनुसार नहीं की गयी जबकि मौके पर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 692 व अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 692/1 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. के अनुसार है। इस प्रकार अ०नलाईन नक्शे में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 692 व अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 692/1 की तरमीम मौके से विपरित जाकर व बिना मौके की जाँच करके गलत की गयी, जबकि उपरोक्त दोनो खसरान की अ०नलाईन नक्शे में तरमीम संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी. डी.ई.एफ. के अनुसार होनी चाहिए थी। इसलिए खसरा संख्या 692 व खसरा संख्या 692/1 की आनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. के अनुसार दुरुस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। खसरा संख्या 692 व 692/1 की भूमि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 1, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का माननीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 1 तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 692 रकबा 0.1942 हैक्टेयर व खसरा संख्या 692/1 रकबा 0.2184 हैक्टेयर की आनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम को दुरुस्त कर सही तरमीम खसरा संख्या 692 रकबा 0.1942 हैक्टेयर की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी. के अनुसार व खसरा संख्या 692/1 रकबा 0.2184 हैक्टेयर की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क सी.डी.ई.एफ. के अनुसार दुरुस्त/सही किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को आदेशित किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 से 4 स्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 1 तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 692 रकबा 0.1942 हैक्टेयर व खसरा संख्या 692/1 रकबा 0.2184 हैक्टेयर की आनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम को दुरुस्त कर सही तरमीम खसरा संख्या 692 रकबा 0.1942 हैक्टेयर की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी. के अनुसार व खसरा संख्या 692/1 रकबा 0.2184 हैक्टेयर की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क सी.डी.ई.एफ. के अनुसार दुरुस्त की जाती है तो उसमें अप्रार्थी सं. 1को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है अपितु अप्रार्थी सं. 1 उपरोक्तानुसार दुरुस्ती हेतु सहमत है।

अप्रार्थी सं० 2 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक 1 की वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा सं० 692 प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। राजस्व ग्राम बिलाडा चक 1 के खसरा सं. 692/1 अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 3 के नाम से दर्ज है। पटवारी हल्का बिलाडा चक 1 की रिपोर्ट एवं मौका फर्द दिनांक 11.03.2025 के अनुसार खसरा सं. 692/1 तथा खसरा सं. 692 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के कब्जे की स्थिति भिन्न है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरान की तरमीम शुद्धि के आदेश पारित किये जाते है तो जवाब देहन्दा को कोई आपति नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि प्रार्थीगण ग्राम बिलाडा चक 1 में स्थित खसरा नंबर 692 के रेकर्डेड खातेदार है। खसरा नंबर 692/1 में प्रार्थी सं. 3 व अप्रार्थी सं. 1 रेकर्डेड खातेदार है जिनकी तरमीम राजस्व लट्ठा ट्रेस में अंकन नही है। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की सहमति प्रदान की है। अप्रार्थी सं. 1 गोपाराम द्वारा भी प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये अनुरूप तरमीम की सहमति प्रदान की है । हल्का पटवारी द्वारा मौका फर्द के अनुसार खसरा नंबर 692 की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा संलग्न जारी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी. के अनुसार व खसरा नंबर 692/1 पर अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 3 का कब्जा संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क सी.डी.ई.एफ के अनुसार होना बताया। ऑनलाईन नक्शे में उक्त खसरान की गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम बिलाडा चक सं. 1 तहसील बिलाडा के खसरा सं. 692 व खसरा नंबर 692/1 की तरमीम तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित पत्र 1447 दिनांक 01.06.2025 के साथ संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट 11/03/2025 में वर्णितानुसार/नियमानुसार दुरुस्त कर शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 11/03/2025 के साथ संलग्न नजरी नक्शा को इस निर्णय का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा